भाअजप्रा IWAI

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA
मुख्यालयः ए–13, सैक्टर–1, नौएडा–201301 (उ0 प्र0)

कार नीलाम सूचना

एक एम्बेसडर कार (मॉडल 2001) जिसमें ए0 सी0 और सी0 एन0 जी0 लगे हुए हैं, 'जैसी है, जहाँ है' के आधार पर दिनांक 04.01.2010 को अपराह्न 3.00 बजे नीलाम की जाएगी। इस संबंध में नियम और शर्तें वेबसाइट पर डाउनलोड करके देख सकते हैं अथवा अधोहस्ताक्षरी से फोन पर भी मालूम कर सकते हैं।

सहायक सचिव (प्र0)
दूरभाषः 0120 – 2527667 / 2521724

कार नीलाम सम्बन्धी नियम–शर्तें

1. एम्बेसडर कार का मॉडल 2001 है।

2. इसकी पंजीयन संख्या डी0 एल0 2 सी0 एम0 – 2998 है।

3. इसमें ए0 सी0 और सी0 एन0 जी0 लगे हुए हैं।

4. नीलाम 'जैसी है और जहाँ है' के आधार पर किया जाएगा।

5. आरक्षित कीमत से कम होने पर बोली नहीं माना जाएगा।

6. इच्छुक व्यक्ति दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 और 01 जनवरी, 2010 को 10.00 बजे से 5.00 बजे सायं तक हिन्दी अधिकारी (प्रशासन) की जानकारी में लाकर गाड़ी देख सकते हैं।

7. यह नीलाम 04.01.2010 को अपराह्न 3.00 बजे होगा।

8. भा0 अ0 ज0 प्रा0 को बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को निरस्त और स्वीकार करने का अधिकार है।

9. इच्छुक बोली बोलने वालों को 20,000/– की राशि ईएमडी के रूप में नकद अथवा डी0 डी0 द्वारा, जो **'आई0 डब्ल्यू0 ए0 आई0 फंड'** को देय होगा, पहले जमा करनी होगी, तभी वे बोली बोलने के पात्र होंगे।

10. गाड़ी तीन दिन के अन्दर, शेष राशि का भुगतान करने पर, स्वीकृत बोली वाले व्यक्ति को सौंप दी जाएगी। यदि स्वीकृत बोली वाला व्यक्ति इन तीन दिनों में शेष भुगतान करके कार नहीं ले जाता है तो उसके द्वारा जमा ईएमडी स्वतः समाप्त हो जाएगी।

11. भा0 अ0 ज0 प्रा0 में कार्यरत कर्मचारी अथवा इनके रिश्तेदार नीलामी में भाग नहीं ले सकते हैं।